ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी. (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्र.का. लेखा एवं लेखा परिक्षा विभाग
"शेयर कक्ष" बैंक हाऊस, प्रथम तल,
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

संदर्भ/Ref No. Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2019-20

दिनांक/Dated: November 07, 2019

To,

Bombay Stock Exchange Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Update: Extraordinary General Meeting on 11th November 2019

We are forwarding a copy of Corrigendum to Notice for Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on Monday, 11th November 2019 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

Vinay Khandelwal
Company Secretary

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालयः ,21 राजेंद्र प्लेस ,नई दिल्ली –110008
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

असाधारण सामान्य बैठक- शुद्धिपत्र

बैंक द्वारा दिनांक 14.10.2019 को, असाधारण सामान्य बैठक पंजाब और सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलिज़, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में सोमवार, 11 नवंबर ,2019 को प्रातः 10.00 बजे, आयोजन के संबंध में जारी नोटिस के बाद बैंक को बीएसई और एनएसई से संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि बैंक के शेयर जहां सूचीबद्ध हैं वहाँ संबंधित तिथि से पिछले बारह महीनों में लगातार कारोबार नहीं किया जा रहा हैं। सेबी (आईसीडीआर) विनियम 165 के अनुसार शेयरों के जारीकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य मापदंड बुक वैल्यू, तुलनीय ट्रेडिंग गुणक, मूल्यांकन मानकों सहित ध्यान में रखा जाएगा , और ऐसे अन्य मापदंड जो ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए प्रचलित हैं , हालांकि जारीकर्ता यह बताते हुए कि विनियमन का अनुपालन किया जा रहा है उस स्टॉक एक्सचेंज जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं वहाँ के एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, जैसा कि उक्त सूचना विशेष संकल्प के मद सं. 1 में सम्मिलित है, संशोधन के उपरांत निम्नानुसार है:

मद संख्या 1

निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद " **योजना** " कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद " **विनियमन** " कहा जाएगा) के साथ गठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में " **अधिनियम** " कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (**आर.बी.आई.**), भारत सरकार(**भा.स.**) ,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**सेबी**) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2018 **(सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.)** और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में **'निदेशक मंडल'** कहा गया है, उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है निदेशक मण्डल द्वारा इक्विटी के माध्यम से जिसका अंकित मूल्य रू. 10/- प्रति शेयर है, को रु. 787 करोड़ के शेयरों को अधिमान के आधार पर निर्धारित मूल्य रू. 79.50 प्रति ईक्विटी शेयर (जिसमें रू. 69.50 का प्रीमियम प्रति ईक्विटी शेयर सम्मिलित है), सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के अंतर्गत विनियम 165 जो समय –समय पर संशोधित कुल राशि रू. 787 करोड़ (रूपए सात सौ सत्तासी करोड़ केवल), द्वारा प्रदत मूल्यांकन प्रमाण पत्र सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम के नियम 165 और नियम 166 के अंतर्गत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता श्री यशलोक दुबे , पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, पर अनुसरण करते हुए भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 9,89,93,710 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें"।

“**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऊपर उल्लेखित इक्विटी शेयर के श्रेष्ठ निर्गम से संबंधित तिथि , निर्धारित असाधारण सामान्य बैठक से 30 दिन पहले अर्थात तिथि 11.10.2019 (क्योंकि 12.10.2019 सप्ताहांत है) को प्रासंगिक है ।

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।”

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटिंत किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अप्रत्यक्ष रूप में जारी किया जाएगा और सेबी (आईसीडीआर) अधिनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों की शर्तों के अंतर्गत होंगे जैसा कि “सेबी आईसीडीआर अधिनियमों“ की अपेक्षा के अनुसार अवरूद्धता अवधि की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।“

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्वटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की आवश्यकता नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।“

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** पूर्वोक्त संकल्प को सही एवं प्रभावी करने के लिए बोर्ड की ओर से जारी किया गया और इसके साथ साथ उसको दिए गए सभी या किसी भी प्राधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी/अधिकारियों को सौंपने के लिए अधिकृत है।"

व्याख्यात्मक विवरण और विशेष प्रस्ताव प्रकटीकरण के मद संख्या 1 में निम्नलिखित बिंदुओं को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

ख सेबी (आईसीआरडी) अधिनियम, 2018 की विनियम 165 के अनुसार शेयरधारक की मंजूरी एवं स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता श्री यशलोक दुबे , (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता) द्वारा प्रदत मूल्यांकन प्रमाण पत्र के अनुसार से 9,89,93,710 इक्विटी शेयरों रु.10.00 प्रति शेयर और रु. 69.50 प्रति शेयर के प्रीमियम पर भुगतान किया जाता है। अधिमान के आधार पर भारत सरकार के पक्ष में रु. 787,00,00,000 तक की राशि की इक्विटी शेयर जारी किया जाता है।

ग. बैंक के प्रमोटर होने के कारण संपूर्ण अधिमान शेयर भारत सरकार के पक्ष में जारी किए जाएंगे ।

सेबी (आईसीआरडी) अधिनियम के अनुसार एवं समय- समय पर संशोधित नियम के अनुसार इक्विटी शेयर के श्रेष्ठ निर्गम से संबंधित तिथि निर्धारित असाधारण सामान्य बैठक से 30 दिन पहले अर्थात तिथि 11.10.2019 (12.10.2019 सप्ताहांत होने के कारण) तक प्रासंगिक है ।

घ. बैंक की शेयरधारिता स्वरूप, शेयर के निर्गम से पहले तथा बाद में निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	**श्रेणी**	**निर्गम से पहले**		**निर्गम के बाद**	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क.	प्रवर्तक धारिता (भारत सरकार)	483324032	80.28	582317742	83.06
ख.	अन्य शेयर धारक	118735354	19.72	118735354	16.94
	कुल योग	602059386	100.00	701053096	100.00

भारत सरकार की निर्गम के बाद शेयर धारिता 83.06% रहेगी और जिसके कारण नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

फ) भारत सरकार को 9,89,93,710 इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी बढ़कर 582317742 (83.06%) हो जाएगी और नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

ब) प्रस्तावित आवंटियों की पहचान और पूर्व अधिमान शेयर पूंजी का प्रतिशत जो कि उनके द्वारा धारण किया जा सकता है और नियंत्रण में बदलाव, यदि कोई हो, तो अधिमान्य शेयर, पूर्व के शेयर के परिणामस्वरूप इसप्रकार हैं-

क. भारत सरकार की निर्गम पूर्व और निर्गम के बाद में जारी की गई हिस्सेदारी निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पहले	483324032	80.28
निर्गम के बाद	582317742	83.06

एच) जब से बैंक के शेयरों का कारोबार तेजी से नहीं हो रहा है तब से सेबी (आईसीआरडी) विनियमन तथा विनियम163 (आई) (जी) और (एच) के अंतर्गत बैंक के कारोबार का खुलासा नहीं हो रहा है।

यह सूचित किया जा रहा है कि व्याख्यात्मक कथन के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 14 में मद (क्यू) के पश्चात एक नई मद (आर) इसप्रकार पढ़ी जाएगी;

आर) बैंक (जारीकर्ता) या उसका कोई भी प्रमोटर (भारत का राष्ट्रपति) या निदेशक कोई भी स्वेच्छा से दोषी (विलफुल डिफॉल्टर) नहीं है।

ऊपर उल्लेखित दिनांक 14.10.2019 के नोटिस में सभी अन्य सूचनाएं अपरिवर्तित रहेंगी तथा उन्हें इस शुद्धिपत्र के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
ह/-
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांकः 07.नवंबर .2019

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्रधानकार्यालयः ,21 राजेंद्रप्लेस ,नईदिल्ली–110008

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING – CORRIGENDUM

Subsequent to the issuance of Notice of EGM dated 14.10.2019 convening Extra Ordinary General Meeting of the Bank on Monday, 11th November 2019 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No. 3, Sector 3, Rohini, Delhi - 110 085, Bank has received communications from BSE & NSE wherein it has been stated that the Bank's Shares are not frequently traded during the twelve calendar months preceding the relevant date, in stock exchanges where the shares of the Bank are listed. As per Regulation 165 of SEBI (ICDR) Regulations, where the shares of an issuer are not frequently traded, the price shall be determined by the issuer shall take into account the valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies: Provided that the issuer shall submit a certificate stating that the issuer is in compliance of this regulation, obtained from an independent valuer to the stock exchange where the equity shares of the issuer are listed. Accordingly, the Item No.1 of the Special Resolution as contained in the said Notice stands amended and will now be read as under:

ITEM NO. 1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolutions(s) as Special Resolution(s):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the **"Act"**) read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the **"Scheme"**) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the **"Regulations**") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India **(RBI)**, Government of India **(GOI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**SEBI (ICDR) Regulations], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (SEBI (LODR) Regulations),** as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"Board")** which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot up to 9,89,93,710 Equity Shares to the President of India (Government of India) on preferential basis, of the face value of Rs. 10/- each at an issue price of Rs.79.50 per Equity Share (including premium of Rs.69.50 per equity share) determined in accordance with Valuation Certificate issued by an independent valuer Mr. Yashlok Dubey, Registered Valuer, under Regulation 165 of SEBI (ICDR) Regulations 2018 as amended from time to time amounting to Rs.787 Crore (Rs. Seven Hundred Eighty Seven Crore only)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** for the preferential issue of the above mentioned equity shares shall be 11.10.2019 (12.10.2019 being weekend), being the date 30 days prior to the date of EGM**."**

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari-passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines or any other law that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Consequently following points of Item No. 1 to the Explanatory Statement & Disclosures to the Special Resolution stands modified as under:-

b) Shareholder approval is therefore sought for the issue of 9,89,93,710 equity shares of Rs.10 each fully paid for cash at premium of Rs. Rs.69.50 per share determined in accordance with Valuation certificate issued by an independent valuer, Mr.Yashlok Dubey, Registered Valuer under Regulation 165 of SEBI (ICDR) Regulations 2018 upto the amount of Rs.787,00,00,000 only, through preferential issue of equity shares in the favour of GOI.

c) The entire preferential issue will be subscribed by the GOI – the promoter of the Bank.
The relevant date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations) as amended from time to time, for the issue of the above mentioned equity shares shall be 11.10.2019 (12.10.2019 being weekend) being the date 30 days prior to the Extraordinary General Meeting.

d) The share holding pattern of the Bank, before and after Preferential Issue of shares will be as under:

S No.	**Category**	**Before the Issue**		**After the Issue**	
		No. of Shares held	Percentage of shareholding	No. of Shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter’s Holding (GOI)	483324032	80.28	582317742	83.06
B	Non- Promoter Holding	118735354	19.72	118735354	16.94
	Total	**602059386**	**100.00**	**701053096**	**100.00**

post issue holding of the Government of India will stand at 83.06**%** and consequently, there will be no change in control.

f) Consequent to the preferential allotment of 9,89,93,710 Equity Shares to the Government of India, the equity shares holding of the Government of India will stand increased to 582317742 (83.06%) and there will be no change in control.

g) The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre - Issue	483324032	80.28
Post - Issue	582317742	83.06

h) Since the shares of the Bank were infrequently traded, the disclosures under Regulation 163(1) (g) & (h) of SEBI (ICDR) Regulations are not applicable.

It is informed that in page No.14 under Explanatory statement a new point (r) is to be read after point (q) as;

r) The Bank (Issuer) or any of its promoter (President of India) or directors is not a willful defaulter.

All other information as stated in the above referred notice dated 14.10.2019 will remain unchanged and should be read along with this corrigendum.

By order of the Board of Directors
For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi
Date: 07 November, 2019

(S Harisankar)
MD & CEO